

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08.2013

क्रमांक एफ 16-28/2013/बी-ग्यारह : मेसर्स पशुपति नाथ ग्लोबल प्रा. लि, ग्राम फाजिलपुरा, जिला, खरगौन का रू. 100 करोड के पूंजी निवेश से टेक्सटाईल परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष पैकेज अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे :-

- (1). ब्याज अनुदान- 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिये।
- (2). उद्योग निवेश संवर्धन सहायता- उत्पादन दिनांक से 8 वर्षों के लिये, जो इकाई द्वारा इस योजना के परिप्रेक्ष्य में मान्य प्लान्ट एवं मशीनरी पर किये गये पूंजी वेष्टन तक सीमित होगा।
- (3). प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षों के लिये।
- (4). मण्डी शुल्क से छूट- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-58-2011-चौदह-3 दिनांक 23.11.2012 के अंतर्गत कपास (बिना ओटी हुई) पर 1 प्रतिशत की मण्डी शुल्क से छूट दिनांक 23.11.2013 तक के लिये।
- (5). भूमि आवंटन- परियोजना को आवश्यक भूमि का आवंटन राजस्व विभाग एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के प्रचलित नियमों के अंतर्गत किया जावे।
- (6). कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 03-08.2013

पृ. क्रमांक एफ 16-28/2013/बी-ग्यारह,  
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/राजस्व विभाग/जल संसाधन विभाग, भोपाल।
  3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
  5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
  6. कलेक्टर, खरगौन।
  7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
  8. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, इंदौर।
  9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खरगौन।
  10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स पशुपति नाथ ग्लोबल प्रा. लि, 202, विमलश्री मंगल, 56, टेलीफोन नगर, इंदौर-452001 कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन